सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 659 राँची, गुरुवार, 3 भाद्र, 1938 (श०) / 25 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

22 अगस्त, 2016

संख्या:- 5/आरोप-1-701/2014 का॰ 7172-- श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-773/03, गृह जिला-धनबाद) द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के आरोपों के कारण विभागीय संकल्प सं०-4557, दिनांक 4 अगस्त, 2011 सह-संकल्प सं०-7943, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री आचार्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । इसके पश्चात् विभागीय आदेश सं०-1557, दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा श्री आचार्य, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कोडरमा को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013 द्वारा श्री आचार्य को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया ।

2. बर्खास्तगी के दण्ड के विरूद्ध श्री आचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका (W.P.(S) No.1538/2013) दायर किया गया, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित आदेश में इनकी जाति के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व Caste Scrutiny Committee का मंतव्य प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उक्त दण्ड को निरस्त कर दिया गया। इस न्यायादेश के अनुपालन में श्री आचार्य की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश को विभागीय संकल्प सं०-1480, दिनांक 17 फरवरी, 2016

द्वारा निरस्त करते हुए पुनः सरकारी सेवा में परिणामी लाभों के साथ शामिल कर लिया गया तथा विभागीय पत्रांक-9421, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-810, दिनांक 1 फरवरी, 2016 द्वारा Caste Scrutiny Committee से इस मामले में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-13(2)(1) एवं 13(2)(2) के तहत् श्री आचार्य के निलंबन/बर्खास्तगी अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है-

(क) निलंबन की अवधि दिनांक 18 फरवरी, 2013 से 3 जुलाई, 2013 तक को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(ख) बर्खास्तगी अवधि दिनांक 4 जुलाई, 2013 से 17 फरवरी, 2016 तक को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

4. Caste Scrutiny Committee से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निर्णय/फलाफल से श्री आचार्य के उक्त अवधि का सेवा विनियमन प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश में,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 659 –50 ।